राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226002
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 8269/241/एनयूएलएम/तीन/(EST&P) 2017-18-Vol-III दिनांक 26-2-2020

सेवा में,

समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना निदेशक,
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0।

विषयः DAY-NULM के घटक EST&P के अन्तर्गत सेवायोजन एवं रोजगार मेलों के आयोजन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजना के माध्यम से रोजगार (EST&P) के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय द्वारा जारी पत्रांक–2498 दिनांक 02.08.2018 के बिन्दु संख्या–19 के अनुसार "प्रशिक्षण समाप्त होने के 03 माह के अन्दर अनिवार्य रुप से न्यूनतम 70% प्रशिक्षणार्थियों को सेवायोजन कराया जायेगा और सेवायोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों में कम से कम 50% वेतन परक रोजगार में सेवायोजन अनिवार्य रुप से कराया जायेगा जोकि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होना चाहिए और सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों की प्रत्येक माह ट्रैकिंग की जायेगी।"

सूडा स्तर पर EST&P की MIS के अनुसार अधिकांश बैचों के ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो चुके है और अवशेष शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। MIS पर उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के सेवायोजन कराये जाने की प्रगति अत्यन्त खराब है, जिस पर भारत सरकार द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया है।

दिनांक 28 मार्च, 2020 से 12 अप्रैल, 2020 के मध्य आयोजित किये जाने वाले शहरी समृद्धि उत्सव, 2020 के मध्य नगर निकायों/शहरों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये, जिसमें की EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को सेवानियोजित कराया जा सके।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण पत्र (Certificate) प्राप्त होने के 01 माह के भीतर प्रत्येक दशा में लक्ष्यों के सापेक्ष 70% सेवायोजन सुनिश्चित कराते हुए उक्त विवरण MIS पर अपलोड कराया जाये। न्यूनतम 70% सेवायोजन नहीं कराये जाने की दशा में कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं पर अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय
(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव/मिशन निदेशक (एनयूएलएम), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त के अनुरुप शीघ्र ही सेवायोजन कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक